फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

बद्री बनाम भगवान सहाय व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या : 11 /2024 (टी. आई.)

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/04/24	आज दिनांक 15/04/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। अ.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अनुपलब्ध है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/04/24 को पेश हो।
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। आदेश दिनांक 13/3/24 के अनुसरण में अब रसीद मय प्राप्ति रिपोर्ट सी. नोटिस अभिभाषक पेश नहीं की गई है। अतः पत्रावली वास्ते तलबी, प्राप्ति रिपोर्ट सी. नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 08/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	08/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण का 01 ता 05, 08 ता 10 के संबंध में वाद रसीद मय प्राप्ति रिपोर्ट सी. नोटिस दिनांक 11/03/24 के प्रस्तुत की गई है। प्राप्ति रिपोर्ट अनुसार तामील स्वीकार है। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थीगण 01 ता 05 08 ता 10 के विरु. एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जाते हैं। पत्रावली वास्ते अंतिम कार्यवाही दिनांक 23/05/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

बद्री बनाम भगवान सहाय व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

11/2024 (टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। अप्रार्थीगण के विरु. एकतरफा कार्यवाही के आदेश पूर्व में पारित है। मूलवाद अभिलिखित हिकायत अनुसार भूमि के विक्रय विलेख से सम्बन्धित है। अप्रार्थीगण की ओर से वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी. आई. में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति अथवा कोई भान्यखंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके दृष्टिगत मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अतः वादबहलता व न्यायहित के दृष्टिगत प्रा.पत्र टी. आई. स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में पारित पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.02.24 को तामील आदेश स्थाई किया जाता है। जिसके मूलवाद अनुसार अप्रार्थीगण भूमि वादग्रस्त आ. स. नं. 1522/2354, 1564, 1565, 1568, 1723 ता 1730 कुल रकबा किला-12 कुल रकबा 4.47 है. वाके ग्राम रायपुर तहसील आमेर जिला जयपुर के विक्रय (बयान) हेतु निषेधित रहेंगे। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज दफ्तर हो। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.07.24 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested